तीसरा अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

तीसरा अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक स्वस्थ आन्तरिक वित्तीय सूचनातंत्र, राज्य सरकार द्वारा दक्ष एवं प्रभावी सुशासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशा निर्देशों के अनुपालन एवं अनुपालनों की समयबद्ध स्थिति और गुणवत्ता सूचना, की अच्छे सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली एवं प्रक्रियात्मक है तो यह राज्य सरकार की मूलभूत प्रबंधन उत्तरदायित्व निभाने के साथ सामरिक महत्व की योजना व निर्णय लेने में भी सहायता करता है। इस अध्याय में वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति एवं एक विहंगावलोकन दिया गया है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने में विलंब

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदानों के मामले में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायता अनुदान देयक आहरित किया गया था, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष के 30 सितम्बर तक या उसके पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2011-12 तक विभिन्न विभागों में सहायता-अनुदान स्वीकृति के विरूद्ध शेष उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1: शेष उपयोगिता प्रमाण पत्रों की वर्षवार स्थिति

वर्ष	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2009-10 तक	35761	17,733.88
2010-11	2888	6,760.54
2011-12	1756	6,923.30
योग	**40405**	**31,417.72**

(स्रोतः वित्त लेखे 2011-12)

इस तरह 31 मार्च 2012 को 37 विभागों के 47 मुख्य शीर्षों के संबंध में कुल राशि ₹ 31,417.72 करोड़ के 40405 उपयोगिता प्रमाण-पत्र शेष थे। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है। मुख्य रूप से नगरीय प्रशासन (₹ 10,406 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 5,985 करोड़), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (₹ 4,430 करोड़), स्कूल

शिक्षा (₹ 3,189 करोड़) तथा आवास एवं पर्यावरण (₹ 2,468 करोड़) विभागों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु वृहत्तर लंबित थे।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समय से प्रस्तुत न किया जाना विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में निगरानी की कमी दर्शाता है और परिणामतः अनुदानों की दुरूपयोगिता संभावित है।

3.2 स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

राज्य सरकार ने कृषि, गृह निर्माण, श्रम कल्याण, शहरी विकास आदि क्षेत्रों में अनेक स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना की है। राज्य में 48 स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे भेजना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना तथा विधानसभा में उनकी प्रस्तुति **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाए गए है। तीन स्वायत्तशासी निकायों का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है जिसका विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2 : पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को पटल पर प्रस्तुति में विलंब

स्वायतशासी निकायों के नाम	वर्ष जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना शेष है
मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल, भोपाल	2004-05 से 2006-07
मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	2005-06 एवं 2006-07
मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	2009-10

48 स्वायत्तशासी निकायों में से, 44 स्वायत्तशासी निकायों **(परिशिष्ट 3.2 के सरल क्रमांक 5 से 48)** ने अपनी स्थापना (1997-98 से 2006-07) के पाँच से 13 वर्षों के पश्चात भी लेखे प्रस्तुत नहीं किये और तीन स्वायत्तशासी निकायों **(परिशिष्ट 3.2 के सरल क्रमांक दो से चार)** ने वर्ष 2003-04 से 2010-11 तक के लेखे, नौ से 84 महीने देरी से प्रस्तुत किये। इकाईयों और प्रशासनिक विभागों से लेखों को प्रस्तुत करने हेतु पत्राचार जारी है।

राज्य विधानसभा में प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं लेखों के प्रस्तुतीकरण में अस्वाभाविक विलंब के परिणामस्वरूप इन निकायों जिनमें सरकारी निवेश किया गया था, की कार्यप्रणाली की जाँच में देरी हुई। इसमें कपट व निधियों के बाहर जाने का जोखिम होता है। आगे, इससे आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने में भी विलंब होता है।

3.3 दुर्विनियोग, हानियां, गबन आदि

मध्य प्रदेश वित्त संहिता नियमावली खंड 1 के नियम 22(1) में बताया गया है कि कोई भी लोक धन की हानि, गबन से हो या अन्य किसी कारण से, तत्काल महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिये, चाहे इस हानि को जिम्मेदार पक्षकार द्वारा पूरा कर दिया गया हो।

राज्य सरकार ने मार्च 2012 की अवधि तक दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन आदि के 3111 प्रकरण सूचित किए थे जिनमें ₹ 46.25 करोड़ का सरकारी धन समाविष्ट था, पर अंतिम कार्यवाही लंबित थी। ₹ 27.78 करोड़ एवं ₹ 13.79 करोड़ के बहुत से प्रकरण क्रमशः स्कूल शिक्षा तथा वानिकी एवं वन्य जीवन विभागों के लिये वसूली/नियमितिकरण हेतु लंबित थे। 2011-12 हेतु दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन आदि के लंबित प्रकरणों तथा अपलेखनों का विभागानुसार विवरण तथा उनका समयानुसार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.3** और **परिशिष्ट 3.4** में दिए गए है। विभाग/संवर्ग अनुसार इन प्रकरणों की प्रकृति का विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है। इन परिशिष्टों से उद्भूत लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा तथा प्रत्येक संवर्ग में चोरी तथा दुर्विनियोग/हानि के लंबित प्रकरणों की संख्या का सारांश **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3 : दुर्विनियोग, हानियों, गबन आदि की रूपरेखा

लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा			लंबित प्रकरणों का विवरण		
वर्षो में वर्गीकरण	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (₹ करोड़ में)
0 - 5	457	32.63	चोरी	214	2.03
5 - 10	468	3.71			
10 - 15	464	4.70	सामग्री का दुर्विनियोग/ हानि	2897	44.22
15 - 20	422	2.03			
20 - 25	695	1.67			
25 और उससे अधिक	605	1.51			
योग	**3111**	**46.25**	**योग**	**3111**	**46.25**

आगे और विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि जिन कारणों से प्रकरण लंबित थे उनको **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4 : दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि के बकाया प्रकरणों के कारण

विलंब/बकाया लंबित प्रकरणों के कारण		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	विभागीय एवं आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित	3	0.0038
(ii)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	3108	46.2498
	योग	**3111**	**46.25**

इस तरह ₹ 46.25 करोड़ के 3,111 प्रकरणों में से ₹ 9.91 करोड़ के 2,186 प्रकरण (70.2 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक लंबित थे।

वर्ष 2011-12 के दौरान अपलेखन की गई ₹ 10.84 लाख की राशि को समाविष्ट करते हुए हानियों के 55 प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है।

3.4 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब, विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना तथा अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना

3.4.1 संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि वर्तमान माह के प्रथम दिवस से पूर्व उनके द्वारा आहरित समस्त आकस्मिक व्यय प्रभारों के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय के देयकों को प्रतिहस्ताक्षर के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषण हेतु अग्रेषित कर दिए गए है। मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश (सितम्बर 1999) द्वारा सभी विभागों के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को छोड़कर (केवल नेशनल केडेट कोर के लिए) संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों से आहरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

31 मार्च 2012 के अन्त तक, कुल ₹ 19.50 करोड़ के 870 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयक लंबित थे। विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों के विरूद्ध बकाया लंबित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति के वर्षवार विवरण **तालिका 3.5** में दिये गये हैं।

तालिका 3.5: मार्च 2012 के अंत में संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की बकाया स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों की संख्या	बकाया राशि
2009-2010 तक	792	19.10
2010-2011	70	0.35
2011-2012	8	0.05
योग	**870**	**19.50**

(स्रोतः वित्त लेखे 2011-12)

2011-12 तक के वर्षों के लिए विभागवार लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों के ब्यौरे **परिशिष्ट 3.6** में दिए गए है।

3.4.2 प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी उनके द्वारा संधारित किये गये लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों

में अंकित लेखों से मिलान और गलत वर्गीकरण को पहचान कर ठीक करवाने के लिए उत्तरदायी होगा। यद्यपि विभागीय आंकड़ों के मिलान न किए जाने के बारे में हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उल्लेख किया गया है तथापि 2011-12 के दौरान भी इस विषय में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक करना निरन्तर रूप से जारी रहा।

हमने देखा कि 2011-12 के दौरान कुल व्यय ₹ 77,513 करोड़ के विरूद्ध नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 74,704.65 करोड़ (96.38 प्रतिशत) का मिलान किया गया। पाँच विभागों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा मार्च 2012 तक ₹ 2,808.35 करोड़ के व्यय की राशि का मिलान नहीं किया। इनमें से दो विभागों यथा शिक्षा (लोक शिक्षण) और सामाजिक कल्याण के नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा कुल ₹ 2,802.45 करोड़ के व्यय (कुल मिलान नहीं किए गए व्यय का 99.8 प्रतिशत) की राशियों का मिलान नहीं किया गया जैसा कि **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6 : नियंत्रण अधिकारियों की सूची जिनके अधीन 2011-12 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशियों का मिलान नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	नियंत्रण अधिकारी	मिलान न की गई राशि
1	आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश, भोपाल	1,918.45
2	निदेशक, सामाजिक कल्याण	8,84.00
योग		**2,802.45**

(स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, म.प्र., से प्राप्त जानकारी के अनुसार)

सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को महालेखाकार द्वारा लेखांकित आँकड़ों से सरकार की प्राप्तियों का मिलान करने की आवश्यकता होती है। वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार की कुल ऋणेत्तर प्राप्तियाँ ₹ 71,753 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1,036 करोड़ (केवल 1.44 प्रतिशत) के मिलान पूर्ण किये गये थे। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय का मिलान न किये जाने से वित्तीय प्रबन्धन में कमी दर्शित हुई।

3.4.3 अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न होना

आहरण एवं संवितरण अधिकारी आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए अस्थाई अग्रिमों का आहरण या तो स्थाई आदेशों के प्राधिकार पर अथवा राज्य सरकार की विनिर्दिष्ट संस्वीकृतियों के आधार पर करते है। वित्त विभाग के अनुदेश (अक्टूबर 2001) के अनुसार, दौरे अथवा आकस्मिक व्यय के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए गए अस्थाई अग्रिमों को अग्रिम आहरण के दिनांक से तीन माह के भीतर अथवा वित्त वर्ष के अन्त तक, जो भी पहले हो, समायोजित किया जाना चाहिए, नहीं तो जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारी से भारतीय स्टेट बैंक की सावधि जमा पर ब्याज की दर के अनुसार ब्याज अधिरोपित किया जाना चाहिए।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की लेखापरीक्षित इकाईयों के निरीक्षण प्रतिवेदन में उपलब्ध जानकारी एवं विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों (जिस सीमा तक उपलब्ध थी) से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2012 तक कुल ₹ 498.90 करोड़ के 5239 अग्रिम के प्रकरण, 138 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उनके अभिलेखों में समायोजन के लिए लंबित थे। अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करने के कारणों को संबंधित विभागों द्वारा सूचित नहीं किया गया। लंबित अग्रिमों का समयवार विश्लेषण **तालिका 3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7 लंबित अग्रिम प्रकरणों का समयानुसार विश्लेषण

सरल क्रमांक	लंबित अवधि	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	10 वर्षो से अधिक	1448	1.88
2	पाँच वर्षो से अधिक और 10 वर्षो तक	1261	11.90
3	एक वर्ष से अधिक परन्तु पाँच वर्षो से कम	1472	105.19
4	एक वर्ष से कम	1058	379.93
योग		**5239**	**498.90**

उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि 27 प्रतिशत से अधिक प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराने है और इस तरह, इनकी वसूली की संभावना दूरस्थ प्रतीत होती है। अग्रिमों की वसूली न होने से संबंधित विभागों में प्रभावशाली आन्तरिक नियंत्रण में कमी दर्शित हुई।

3.4.4 लेखाओं के संप्रेषण में विलम्ब

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के उप-नियम 36 के अनुसार, कोषालय अधिकारी/विभाग द्वारा मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अगले माह के प्रथम दिन (मार्च के लिए अगले माह का पांचवां दिन) प्रस्तुत करने चाहिये।

हमने देखा कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को कोषालय, लोक निर्माण संभाग और वन संभाग द्वारा भेजे जाने वाले लेखाओं में औसतन छः से दस दिनों का विलम्ब रहा। लेखाओं के संकलन में विलम्ब से बचने के लिये कोषालय एवं संबंधित विभागों द्वारा समय से लेखाओं का सम्प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

3.5 व्यक्तिगत जमा लेखे

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के उप-नियम 543 के प्रावधानों के अनुसार, व्यक्तिगत जमा लेखाओं का सृजन लोक लेखे में राज्य की समेकित निधि के नामे (डेबिट) के द्वारा किया जा सकता है और उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सुसंगत सेवा शीर्षो को ऋण नामे डालकर बंद कर देना चाहिए। वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना कोई भी व्यक्तिगत जमा लेखा जारी नहीं रखा जायेगा।

- 1 अप्रैल 2011 को 765 व्यक्तिगत जमा लेखे विद्यमान थे जिनमें ₹ 2003.45 करोड़ शेष थे। वर्ष 2011-12 के दौरान, 128 व्यक्तिगत जमा लेखे (₹ 3.93 करोड़ के) खोले गये और सात व्यक्तिगत जमा लेखे (₹ 0.08 करोड़ के) बंद किये गये। इस तरह 31 मार्च 2012 को 886 व्यक्तिगत जमा लेखे विद्यमान थे जिनमें ₹ 2,007.30 करोड़ अंतिम शेष थे। व्यक्तिगत जमा लेखों के अंतिम शेषों से यह प्रकट हुआ कि प्रशासकों ने मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के भाग-1 के उक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।

- लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालक, औषधि प्रकोष्ठ, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2012) से प्रकट हुआ कि नवीन औषधि खरीद नीति के अन्तर्गत संचालक औषधि प्रकोष्ठ के पक्ष में दवाईयां खरीदने हेतु एक व्यक्तिगत जमा लेखा क्रमांक 37 (जनवरी 2008) खोला गया था, जो 2012-13 में भी जारी रहा। 31 मार्च 2012 को व्यक्तिगत जमा लेखा में ₹ 17.91 करोड़ शेष थे, जो कि, वित्त वर्ष की समाप्ति पर सुसंगत सेवा शीर्षों को ऋण नामे डालकर बंद नहीं किये गए थे। विभाग ने बताया (जुलाई 2012) कि, व्यक्तिगत जमा खाते को 2012-13 तक जारी रखने की अनुमति दिनांक 30 जून 2012 को दी गयी थी। यह तथ्य यथावत है कि, व्यक्तिगत जमा लेखे को जारी रखने की अनुमति वित्त वर्ष की समाप्ति (31 मार्च 2012) से पूर्व प्राप्त की जानी चाहिए थी और इस प्रकार, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 543 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2012 और नवम्बर 2012); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (नवम्बर 2012)।

3.6 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये सहायता-अनुदान की अनुपयोगिता एवं निधियों का सिविल जमा में रखना

2011-12 के दौरान, तेरहवें वित्त आयोग अवार्ड के रूप में ₹ 102.87 करोड़[1] का सहायता अनुदान, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 68.00 करोड़) तथा संस्कृति विभाग (₹ 34.87 करोड़) द्वारा प्राप्त किये गये थे।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के उप-नियम 284 के अनुसार, कोषालय से धन का आहरण नहीं करना चाहिये जब तक कि तत्काल संवितरण हेतु आवश्यक न हो। निम्नलिखित विभागों के अभिलेखों की नमूना जाँच में हमने पाया कि प्राप्त अनुदान का उपयोग नहीं किया गया, या राशि सिविल जमा में रखी रही थी।

---

[1] *स्वास्थ्य अधोसंरचनाः ₹ 62.50 करोड़ तथा ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण,विकास और प्रबंधन हेतुः ₹ 34.87 करोड़ तथा एम.टी.एच.चिकित्सालय, इंदौर के उन्नयन हेतुः ₹ 5.50 करोड़*

(i) **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागः** हमारे द्वारा संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2012) और वर्ष 2011-12 के विनियोग लेखों से प्रकट हुआ कि 4210-01-110-1301 से 1303 केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य/अनुसूचित जनजाति उप क्षेत्र योजना/अनुसूचित जाति उप योजना)-6453 स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करना योजना के अन्तर्गत ₹ 62.50 करोड़ का बजट प्रावधान अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत (सामान्यः ₹ 40.65 करोड़), अनुदान संख्या 41 (अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप आयोजनाः ₹ 12.50 करोड़) और अनुदान संख्या 64 (अनुसूचित जाति उप आयोजनाः ₹ 9.35 करोड़) किया गया था, जिसका अनुमोदन भारत सरकार से 2 मार्च 2012 को प्राप्त हुआ था। इसमें से केवल ₹ 13.42 करोड़ का व्यय किया गया जिसमें से ₹ 4.06 करोड़ लेखों में अंतिम व्यय दर्शाते हुये 31 मार्च 2012 को 8443 सिविल जमा-800- अन्य जमा में अंतरित किये गये, वर्ष के दौरान ₹ 48.17 करोड़ समर्पित किये गये और ₹ 0.91 लाख विलोपित हुये। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान केवल ₹ 9.36 करोड़ (प्रावधानों का 15 प्रतिशत) का उपयोग हुआ जिससे विभाग की व्यय पर नियंत्रण की कमी दृष्टिगोचर हुई।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2012 और नवम्बर 2012); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (नवम्बर 2012)।

(ii) **संस्कृति विभागः** हमारे द्वारा आयुक्त, पुरातत्व अभिलेख एवं संग्रहालय, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2012) और वर्ष 2011-12 के विनियोग लेखों से प्रकट हुआ कि भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण, विकास और प्रबन्धन के लिये ₹ 34.87 करोड़ की अनुदान सहायता अनुमोदित (30 मार्च 2012) की। अनुदान संख्या 26 के अन्तर्गत योजना संस्कृति 2205-800-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6464-स्मारक एवं संग्रहालय का विकास और संधारण कार्य इत्यादि में, ₹ 36.69 करोड़ व्यय किये गये, जिसमें ₹ 34.87 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त सम्मिलित थे और वह 31 मार्च 2012 को लेखों में अंतिम व्यय प्रदर्शित करते हुये 8443-सिविल जमा- 800 अन्य जमा में अंतरित कर दिये गये जो कि अभी भी अनुपयोगी पड़े थे (जुलाई 2012)।

विभाग ने बताया (जुलाई 2012) कि निधियां वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन प्राप्त हुई थी एवं 2011-12 के दौरान उपयोग नहीं की जा सकी। 2011-12 के कार्य आयोजना के अनुसार सिविल जमा शीर्ष से निधियों को जारी करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को (जुलाई 2012) भेजा गया था। यह तथ्य यथावत है कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के उप-नियम 284 के प्रावधान जिसमें बताया गया है कि, कोषालय से धन आहरित नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि तत्काल संवितरण हेतु आवश्यक न हो, का अनुपालन नहीं किया गया है,

क्योंकि निधियों को बिना तत्काल आवश्यकता के आहरित किया गया और जो जुलाई 2012 तक अनुपयोगी रही।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2012 और नवम्बर 2012); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (नवम्बर 2012)।

3.7 निष्कर्ष

सरकार के विभिन्न नियमों एवं वित्तीय कार्यविधियों के अनुपालन में कमी थी। ₹ 31,418 करोड़ के अनुदानों के संबंध में 40405 उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनुदान स्वीकृतिदाता प्राधिकारियों से प्रतीक्षित थे, जिससे विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी दर्शित हुई। 47 स्वायत्तशासी निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में नौ माह और अधिक के महीनों का विलम्ब हुआ जिससे उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही दुष्प्रभावित हुई। ₹ 46.25 करोड़ की राशि की हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के प्रकरणों के निवर्तन में सरकार का अनुपालन लंबित था। संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरूद्ध ₹ 19.50 करोड़ की राशि के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयक प्रतीक्षित थे जिसमें 2010-11 की अवधि के पहले के ₹ 19.10 करोड़ सम्मिलित थे। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मार्च 2012 की समाप्ति पर ₹ 2,007 करोड़, 886 व्यक्तिगत जमा लेखे में रोक कर रखे गए थे। पाँच विभागों के नियंत्रण अधिकारियों के संबंध में ₹ 2,808 करोड़ के व्यय का लेखा-मिलान न होना देखा गया। इन समस्त कमियों ने विभागों में आन्तरिक नियंत्रण के अभाव और सरकार द्वारा निष्प्रभावी शासन को प्रतिबिंबित किया है।

3.8 अनुशंसाएं

- अनुदानग्राही संस्थानों को जारी अनुदान के संबंध में, विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिये।

- स्वायत्तशासी निकायों द्वारा लेखों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- दुर्विनियोजनों, हानियों इत्यादि के सभी प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रतापूर्वक पूरी करनी चाहिए ताकि चूककर्ताओं द्वारा की गयी चूक दर्ज हो सके। ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति की रोकथाम करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

- 31 मार्च 2012 को विशाल शेषों वाले व्यक्तिगत जमा लेखों को बंद करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए तथा निधियों को समेकित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।

- 2011-12 की समाप्ति पर बकाया रहे अस्थायी अग्रिमों की वसूली/समायोजन तत्काल किया जाना चाहिए।

ग्वालियर
दिनांक

(के.के. श्रीवास्तव)
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक